न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/214 **दायरा दिनांक : 12.12.2022**

उनवान

1 पूरणमल पुत्र श्री गोरधन, जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती मांगरोल दरवाजा बारां, तहसील बारां, जिला बारां (मृतक)
1/1. विरेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पूरणमल रेगर
1/2. लोकेश पुत्र स्वर्गीय पूरणमल रेगर
1/3. कन्या बाई बेवा स्वर्गीय पूरणमल रेगर
1/4. कौशल्या बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल रेगर
1/5. रूकमणी बाई पुत्री स्वर्गीय पूरणमल रेगर
1/6. हेमलता पुत्री स्वर्गीय पूरणमल रेगर
जाति रेगर, निवासीगण रेगर बस्ती मांगरोल दरवाजा बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. बृजराज पुत्र श्री नन्दकिशोर, जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   1/1. चेतन कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बृजराज
   1/2. करण उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय श्री बृजराज
   1/3. श्रीमती बजरंगी बेवा स्वर्गीय श्री बृजराज, जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती मांगरोल दरवाजा बारां
   1/4. श्रीमती परमेश पुत्री स्वर्गीय श्री बृजराज पत्नी श्री भुवनेश्वर, जाति रेगर, निवासी त्रिमूर्ति कालोनी, छत्रपुरा
   1/5. माया पुत्री स्वर्गीय श्री बृजराज
   1/6. लीना पुत्री स्वर्गीय बृजराज, जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती मांगरोल दरवाजा बारां
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दकिशोर, जाति रेगर, निवासी रेगर बस्ती मांगरोल दरवाजा बारां तहसील बारां, जिला बारां
3. नट्टी बाई पत्नी नन्दकिशोर मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   3/1. पुष्पलता पुत्री नन्दकिशोर पत्नी नन्दकिशोर, जाति रेगर, निवासी पानी की टंकी के पास शिवाजी नगर, बारां, तहसील बारां, जिला बारां
   3/2. नगेन्द्र बाला पुत्री नन्दकिशोर पत्नी नाथूलाल, जाति रेगर, निवासी बरगू, तहसील दीगोद, जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपस्थित – श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र सोमानी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 04/2012 निर्णय दिनांक 31.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92–ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल बारां, तहसील बारां के हाल खेवट खतौनी संख्या 221 के खसरा नं. 52 रकबा 0.6100 हेक्टर आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बृजराज, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण नन्दकिशोर व श्रीमती नट्टी बेवा नन्दकिशोर के संयुक्त खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.10.2022 को प्रकरण संख्या 04/2012 में अपीलांट के विरूद्ध निर्णय फरमाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा कर रेस्पो० को पूर्व से चला आ रहा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश निरस्त फरमा दिया है, जिससे अप्रसन्न होकर उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों से परे होने से काबिल खारजा है। प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 का विवादित आराजी पर 1/2 हिस्से से ही सम्बन्ध होने पर भी सहवन से सम्पूर्ण भूमि पर रेस्पोडेंटगण का नाम दर्ज हो जाने से उनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द न करने का त्रुटि पूर्ण व कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध निर्णय दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कस्बा बाराँ, तहसील एवं जिला बाराँ की आराजी हाल खतोनी संख्या 221 ख0 नं0 52 क्षेत्रफल 0.61 है0 जिसके बन्दोबस्त 2039 से 2057 के पूर्व ख0 नं0 46 क्षेत्रफल 4 बीघा बराबर 0.64 है० थे। जिसके बन्दोबस्त 1915–2024 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पूर्व साबिक नं0 2584/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 18 बिस्वा थे। जो पूर्व में अपीलांट के दादा भेरया बेटा दोला, जाति चमार, बाराँ के नाम दर्ज थी, इसके अलावा भेरया बेटा दोला के नाम ख0 नं0 2650/638 क्षेत्रफल 7 बिस्वा किस्म खेडा भी दर्ज थी। जिनके दो पुत्र चन्दा एवं गोरधन थे एवं भेरया की मृत्यु के बाद उक्त आराजी दोनों पुत्रों को बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा जर्ये फौती इन्तकाल उत्तराधिकार में प्राप्त होनी थी, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद चन्दा द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपना नाम तन्हा खातेदार के रूप में नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वैध कानूनी प्रकिया को अपनाये दर्ज करवा लिया तथा गोरधन के अनपढ होने के कारण उसे इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी तथा कभी राजस्व रिकार्ड के बारे में जिक्र भी नहीं किया। मौके पर दोनों भाई शामलाती रूप से उक्त आराजी पर काबिज काश्त बने रहे तथा खेडा की आराजी पर दोनों भाइयों ने मकान बना लिए एवं उसे निवास के लिए उपयोग उपभोग करते रहे। किन्तु चन्दा व गोरधन के मरने के बाद चन्दा के वारिसान द्वारा सम्पूर्ण आराजी पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज होने की आढ में उक्त आराजियात को रहन, बेचान द्वारा खुर्द बुर्द करने एवं अपीलांट को उसके हक व अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। रेस्पो० अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त आराजी को जबरन खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर निर्णय करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। उक्त विवादित आराजी अपीलांट के दादा के खातेदारी की पेतृक आराजी है किन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 द्वारा न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में उक्त आदेश करवा लिया। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजियात अपीलांट को अपने पिता के मरने के बाद प्राप्त हुई है एवं पूर्व में अपीलांट के दादा रेकार्डेड खातेदार थे एवं उनकी मृत्यु के बाद से अपीलांट के पिता तथा अपीलांट निरन्तर उक्त आराजियात पर काबिज काश्त बने हुए हैं एवं राजस्व रिकार्ड में सहवन से उनका नाम जर्ये इन्तकाल बतौर खातेदार अंकित नहीं हो गया है तथा कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार पेतृक आराजी पर समस्त उत्तराधिकारियों को बराबर हक व अधिकार होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके मनमर्जी अपीलांट के विपक्ष मे फैसला सुना कर भारी कानूनी त्रूटि की है, इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उक्त काश्त व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया गया एवं न ही नियम विरूद्ध रिकार्ड एव पेतृक अधिकारों पर कोई गोर किया गया। मात्र रेस्पोडेन्टगण के जवाब प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को ही सही मानकर उस पर अपना निर्णय सुना दिया गया है, जबकि अपीलांट के पिता व चन्दा की मृत्यु होने के बाद से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 के मन में बदयान्ति आ गई और उन्होंने इस बात का गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से उनकी आराजियात पर मनगढन्त रूप से झूठा कब्जा बताकर उसकी आड में अधीनस्थ न्यायालय में जवाब वाद एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जबकि उक्त आराजी पर अपीलांट व रेस्पो० वास्तविक रूप से अपने अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई ध्यान न दे कर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ पत्र के द्वारा सारा मामला पक्ष में साबित करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दुर्भावना पूर्वक उक्त आदेश एवं निर्णय पारित किया है, जो त्रूटि पूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित था एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना भी अपीलांट के पक्ष में है, इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के सभी कानूनी बिन्दु रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 के विरूद्ध होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मनमाना एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है, जिसकी आड में रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को परेशान करने तथा झगडा फसाद करने व विवादित आराजी को रहन, बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाराँ के निर्णय दिनांक 31.10.2022 को निरस्त फरमा कर उक्त विवादित आराजी को रहन, बेचान कर खुर्द बुर्द न करने के लिए रेस्पोडेन्टगण को जयं अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.11.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.10.2022 को प्रकरण सं0 04/2012 में अपीलांट के विरूद्ध निर्णय फरमाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा कर रेस्पो० को पूर्व से चला आ रहा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश निरस्त फरमा दिया है, जिससे अप्रसन्न हो कर उक्त निर्णय के विरूद्ध

(दीप्ति चन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों से परे होने से काबिल खारजा है। प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 का विवादित आराजी पर 1/2 हिस्से से ही सम्बन्ध होने पर भी सहवन से सम्पूर्ण भूमि पर रेस्पोडेंटगण का नाम दर्ज हो जाने से उनको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द न करने का त्रुटिपूर्ण व कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विरूद्ध निर्णय दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कस्बा बाराँ, तहसील एवं जिला बाराँ की आराजी हाल खतोनी संख्या 221 ख0 नं0 52 क्षेत्रफल 0.61 है० जिसके बन्दोबस्त 2039 से 57 के पूर्व ख0 नं0 46 क्षेत्रफल 4 बीघा बराबर 0.64 है० थे। जिसके बन्दोबस्त 1915–24 के पूर्व साबिक नं0 2584/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 18 बिस्वा थे। जो पूर्व में अपीलांट के दादा भेरया बेटा दोला, जाति चमार बाराँ के नाम दर्ज थी, इसके अलावा भेरया बेटा दोला के नाम ख0 नं0 2650/638 क्षेत्रफल 7 बिस्वा किस्म खेडा भी दर्ज थी। जिनके दो पुत्र चन्दा एवं गोरधन थे एवं भेरया की मृत्यु के बाद उक्त आराजी दोनों पुत्रों को बराबर बराबर 1/2, 1/2 हिस्सा जर्ये फौती इन्तकाल उत्तराधिकार में प्राप्त होनी थी, किन्तु उनकी मृत्यू के बाद चन्दा के पुत्र के हल्का पटवारी के पास कार्य करने के कारण उसके द्वारा अपने सम्बन्धों की आढ में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके उक्त सम्पूर्ण आराजी पर चन्दा का नाम तन्हा खातेदार के रूप में नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वैध कानूनी प्रक्रिया को अपनाये दर्ज करवा लिया तथा गोरधन के अनपढ होने के कारण उसे इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी तथा कभी राजस्व रिकार्ड के बारे में जिक्र भी नहीं किया। मौके पर दोनों भाई शामिलाती रूप से उक्त आराजी पर काबिज काश्त बने रहे तथा खेडा की आराजी पर दोनों भाइयों ने मकान बना लिए एवं उसे निवास के लिए उपयोग उपभोग करते रहे। किन्तु चन्दा व गोरधन के मरने के बाद चन्दा के वारिसान द्वारा सम्पूर्ण आराजी पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज होने की आढ में उक्त आराजियात को रहन, बेचान द्वारा खुर्द बुर्द करने एवं अपीलांट को उसके हक व अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका उन्हें कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। रेस्पो० अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त आराजी को जबरन खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर निर्णय करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। उक्त विवादित आराजी अपीलांट के दादा के खातेदारी की पेतृक आराजी है किन्तु रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 द्वारा न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में उक्त आदेश करवा लिया। वास्तविकता यह है कि उक्त आराजियात अपीलांट को अपने पिता के मरने के बाद प्राप्त हुई है एवं

(दीप्ति रमचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पूर्व में अपीलांट के दादा रेकार्डेड खातेदार थे एवं उनकी मृत्यु के बाद से अपीलांट के पिता तथा अपीलांट निरन्तर उक्त आराजियात पर काबिज काश्त बने हुए है एवं राजस्व रिकार्ड में सहवन से उनका नाम जर्ये इन्तकाल बतौर खातेदार अंकित नहीं हो पाया है तथा कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार पेतृक आराजी पर समस्त उत्तराधिकारियों को बराबर हक व अधिकार होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके मन मर्जी अपीलांट के विपक्ष मे फैसला सुना कर भारी कानूनी त्रुटि की है, इस कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खारिज किया जाकर रेस्पो० को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा कर यथास्थिति का आदेश होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उक्त काश्त व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया गया एवं न ही नियम विरूद्ध रिकार्ड एव पेतृक अधिकारों पर कोई गोर किया गया। मात्र रेस्पोडेन्टगण के जवाब प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को ही सही मानकर उस पर अपना निर्णय सुना दिया गया है, जबकि अपीलांट के पिता व चन्दा की मृत्यु होने के बाद से रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 के मन में बदयान्ति आ गई और उन्होंने इस बात का गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से उनकी आराजियात पर मनगढन्त रूप से झूठा कब्जा बताकर उसकी आड में अधीनस्थ न्यायालय में जवाब वाद एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जबकि उक्त आराजी पर अपीलांट व रेस्पो० वास्तविक रूप से अपने अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं, रेस्पो० को स्वयं यह साबित करना है, कि दोनो सगे भाई जीवित होने पर भी एक मात्र चन्दा का नाम किस प्रक्रिया से आया, तब तक आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनी रहना न्याय हित में अति आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर कोई ध्यान न दे कर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ पत्र के द्वारा सारा मामला पक्ष में साबित करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दुर्भावना पूर्वक उक्त आदेश एवं निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित था एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना भी अपीलांट के पक्ष में है, इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के सभी कानूनी बिन्दु रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 के विरूद्ध होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मनमाना एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया है, जिसकी आड में रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को परेशान करने तथा झगडा फसाद करने व विवादित आराजी को रहन, बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि वे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आढ में उक्त आराजी को अपनी योजनानुसार कुल 16 लोगों को बेचान कर उनका नाम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने में सफल हो गए, तो अपीलांट को उन नये 16 व्यक्तियों से कानूनी लडाई लडनी पडेगी, जो न तो अपीलांट के लिए सम्भव होगा एवं न ही न्याय के उद्देश्यों के हित में होगा तथा इससे दावों की बाढ आ जाएगी एवं वादों की बहुलता हो जाएगी। इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के निरस्त होने एवं रेस्पो० के विरूद्ध यथास्थिति के आदेश जारी होने से किसी भी पक्षकार के हक हकूकों पर विपरीत असर नहीं पडेगा एवं न ही किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकारो का निर्धारण होगा, किन्तु यदि उक्त आदेश निरस्त नहीं हुआ, तो अपीलांट के पेतृक हक हकूक समाप्त कर दिए जायेंगे तथा उसे रेस्पो० द्वारा उक्त आराजी 16 व्यक्तियों को बेचान की जाकर अपीलांट को उसके पुश्तेनी आराजी के अधिकारों से वंचित करने में षडयंत्र पूर्वक सफल हो जायेंगे तथा यह न्याय की हत्या के समान होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाराँ के प्रकरण संख्या 04/2012 निर्णय दिनांक 31.10.2022 को निरस्त फरमा कर उक्त विवादित आराजी को रहन, बेचान कर खुर्द बुर्द न करने के लिए रेस्पोडेन्टगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर मूल वाद के निस्तारण एवं उसमें पक्षकारों के हक हकूकों के निर्धारण होने तक यथास्थिति का आदेश जारी किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि जमाबंदी संवत 2015 से 2024 सैटलमेंट की जमाबंदी में करेक्शन करवाना चाहते हैं। वादग्रस्त आराजी का बेचान 2012 में हो चुका है जिसे बेची उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल में खारिज हो गयी है। मूल दावे में अधिकार निर्धारित होगे, कब्जा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा किया गया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि माल बारां, तहसील बारां की हाल खेवट खतोनी संख्या 221 के खसरा नं. 52 रकबा 0.6100 हेक्टर आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बृजराज, नरेन्द्र कुमार पुत्रगण नंदकिशोर व श्रीमती नट्टी बेवा नंदकिशोर के संयुक्त खाते दर्ज है, जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी संवत 2012 से 2015 की जमाबंदी में भैरया पुत्र दोला चमार बारां के नाम खाते दर्ज थी। भैरया की मृत्यु के बाद विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही बंदोबस्त कार्यवाही संवत 2015 से 24 में मृतक भैरया के उत्तराधिकारियों चन्दा, गोरधन में से एक मात्र चंदा के नाम खाते दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया, जो विधिविरूद्ध, अवैध एवं शून्य है। विवादित आराजी की 1/2 हिस्से की आराजी का प्रार्थी पूरणमल ही एक मात्र मालिक स्वामी की हैसियत से काबिज काश्त है। प्रार्थी आराजी के अपने 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक होने के अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि वाद ठोस तथ्यों पर प्रथम दृष्टया आधारित है इसलिए अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 को विवादित आराजी में तृतीय पक्ष हित अन्तरण न करते व प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में मदाखलत नहीं करने हेतु ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पाबंद फरमाये।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी पर पूरणमल का कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही विवादित भूमि पर 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक होने की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है क्योंकि उक्त इन्द्राजात 55 वर्ष पूर्व किये गये थे, जो लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वर्जित है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण नरेन्द्र, बृजराज, नट्टी बाई बेवा नंदकिशोर खातेदार कृषक है तथा सन् 2005 से राजस्व रिकार्ड में उनका नाम बदस्तूर खातेदार के रूप में चला आ रहा है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के संबंध में पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका है, इसलिए पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसी आराजी के संबंध में पुनः वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से प्रार्थीगण स्टोब्ड है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2012 से 2015 ग्राम कस्बा बारां, तहसील बारां के अनुसार खसरा नं. 2584/1, 2650/738 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा आराजी खातेदार भेरया बेटा ढोला, जाति चमार के खाते

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2016 से 2019, संवत 2020 से 2023, संवत 2024 से 2027 के अनुसार ग्राम कस्बा बारां, तहसील बारां के अनुसार खसरा नं. 46, 879 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा आराजी खातेदार चन्दा वल्द भेरया, कोम चमार के खाते दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग संवत 2015 से 2024 ग्राम कस्बा बारां, तहसील बारां के अनुसार भी खसरा नं. 46, 879 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा आराजी चन्दा वल्द भेरया, कौम चमार के खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 से 2057 का है जिसके अनुसार साबिक खसरा नं. 46 एवं 879 के हाल खसरा नं. क्रमशः 52 एवं 935 बने हैं। प्रार्थी अपीलांट द्वारा संवत 2015 से 2024 का मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। मिलान क्षेत्रफल के अभाव में यह साबित नहीं हो पाता है कि संवत 2012 से 2015 की जमाबंदी में भेरया बेटा ढोला की खातेदारी में दर्ज खसरा नं. 2584/1 एवं 2650/738 के नये खसरा नं. 46 एवं 879 बने हैं। मिलान क्षेत्रफल के अभाव में प्रार्थी अपीलांट का यह कथन भी साबित नहीं हो पाता है कि भू प्रबन्ध विभाग ने अवैध रूप से भेरया के खाते की आराजी अकेले उसके बेटे चंदा के नाम से दर्ज कर दी और प्रार्थी अपीलांट के पिता गोरधन का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया। अपीलांट अपील में अंकित अपने कथनों को साबित करने में असफल रहे हैं, अतः अपील के इस स्तर पर हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा